

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/प्रारं/RTE/सी/18878/निःशुल्क प्रवेश/2021-22/162

दिनांक 08.10.2021


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिले

विषय:- सत्र 2021-22 हेतु गैर सरकारी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश हेतु संशोधित टाईम फ्रेम संबंध में।

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्र क्रमांक पं.8(2) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश 2021-22/2021 जयपुर दिनांक 08.10.2021


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आरटीई के तहत सत्र 2021-22 हेतु गैर सरकारी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश हेतु संशोधित टाईम फ्रेम निम्नानुसार है:-

क.सं.	विवरण/गतिविधि	टाईमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	11 अक्टूबर 2021 से 24 अक्टूबर 2021 तक	संबंधित अभिभावक
2	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	27 अक्टूबर 2021	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	28 अक्टूबर 2021 से 3 नवम्बर 2021 तक	अभिभावको द्वारा
4	आवेदन पत्रों की जांच करना	28 अक्टूबर 2021 से 9 नवम्बर 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय
5	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	10 नवम्बर 2021 से 14 नवम्बर 2021 तक	अभिभावको द्वारा
6	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच करना	15 नवम्बर 2021 से 18 नवम्बर 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय द्वारा
7	छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES) देना	19 नवम्बर 2021 से 28 नवम्बर 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय एवं अभिभावकों द्वारा
8	शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन करना	30 नवम्बर 2021 को	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा


चन्द्र किरण पँवार
उपनिदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही:-

01. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर
02. श्रीमान विनोद जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC शिक्षा संकुल, जयपुर


चन्द्र किरण पँवार
उपनिदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

ई-मेल/आज ही जारी हो ।

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

कमांक प. 8(2) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश 2021-22/2021

जयपुर दिनांक

08 OCT 2021

- ✓ 1 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय - सत्र 2021-22 हेतु आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया शुरू किए जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ - आपका पत्र कमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/दिशानिर्देश/18878/2021-22/154 दिनांक 24.09.2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा-1 में प्रवेश हेतु निम्न टाइम फ्रेम के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। सत्र 2021-22 हेतु आरटीई प्रवेश निम्न टाइम फ्रेम अनुसार शुरू करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब करावे :-

टाइम फ्रेम

क.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	11 अक्टूबर 2021 से 24 अक्टूबर 2021 तक	संबंधित अभिभावक
2	ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	27 अक्टूबर 2021	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	28 अक्टूबर 2021 से 3 नवम्बर 2021 तक	अभिभावको द्वारा
4	आवेदन पत्रों की जांच करना	28 अक्टूबर 2021 से 9 नवम्बर 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय
5	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	10 नवम्बर 2021 से 14 नवम्बर 2021 तक	अभिभावको द्वारा
6	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच करना	15 नवम्बर 2021 से 18 नवम्बर 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय द्वारा
7	छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन कमांक से लॉगिन कर सहमति (YES) देना	19 नवम्बर 2021 से 28 नवम्बर 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय एवं अभिभावकों द्वारा
8	शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन करना	30 नवम्बर 2021 को	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

भवदीया,

Devi
(शीला रानी) 08/10/2021

व. शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति.मुख्यसचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
4. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर ।
5. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर ।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-6) विभाग, जयपुर
8. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक (आयोजना)विभाग, जयपुर ।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर ।

व. शासन उप सचिव